<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
शैतानसिंह . बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)
सू.अ.अ.अपील सं0 179 / 2023 ( )</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>24.08.23</td><td>अपीलार्थी शैतानसिंह पुत्र रतनसिंह, निवासी प्लॉट नं. 15, गोपालवाडी, होटल गढगोविन्द के पास, चौपासनी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना--पत्र दिनांक 08.05.23. में उसके द्वारा (1) खराब पाईप लाईन बिछाने वाली पूर्व सरपंच श्रीमती विद्या प्रजापत और सरपंच पति ललित कुमार के खिलाफ जिला टीम से जांच करवा कर कानूनी कार्यवाही करवाने के आदेश पारित करवाने बाबत् दिनांक 28.03.2023 को प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत पर जांच कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।
अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 940 दिनांक 01.08.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि शैतानसिंह द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.23 बाबत् आवक लिपिक कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.23 कार्यालय की आवक पंजिका के क्र. सं. 3699 दिनांक 28.03.23 पर दर्ज कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर की पंचायत शाखा में भिजवा दिया जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को स्थानान्तरित करते हुए प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया तथा पत्र की प्रति प्रार्थी को भी दी गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी (जिला परिषद जोधपुर) को स्थनान्तरित किया जा चुका है तथा लोक सूचना अधिकारी (जिला परिषद जोधपुर) के विरूद्ध प्रथम अपीलेट अधिकारी जिला कलक्टर जोधपुर नहीं है। प्रमुख, जिला परिषद जोधपुर प्रथम अपीलीय अधिकारी है अतः अपीलार्थी सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो वो प्रमुख, जिला परिषद जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करें। परिणामस्वरूप अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर जोधपुर</td><td></td></tr>
</table>

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)